



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

भाद्र 19, गुरुवार, शाके 1942-सितम्बर 10, 2020  
*Bhadra 19, Thursday, Saka 1942-September 10, 2020*

भाग 1 (क)  
नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2020

**संख्या एफ 1(3)/पर्या./2019:-**जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) की धारा 52 की उप-धारा (1) और धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर की केन्द्रीय प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम के अधीन राज्य जल प्रयोगशाला को न्यस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य जल प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट करती है और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर की केन्द्रीय प्रयोगशाला में पदस्थापित मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी और अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गये जल या मल या व्यवसायिक बहिःस्राव के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राजकीय विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० डी. एन. पाण्डेय,  
शासन सचिव।

### NOTIFICATION

Jaipur, September 09, 2020

**No. F.1(3)/Env./2019:-**In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 52 and sub-section (2) section 53 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974), the State Government hereby specifies the Central Laboratory of the Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur as the State Water Laboratory to carry out the functions entrusted to the State Water Laboratory under the said Act and appoints the Chief Scientific Officer and Superintendent Scientific Officer posted at Central Laboratory of the Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of water or sewage of trade effluent sent for analysis to laboratory specified under the sub-section (1) of the section 52 of the said Act.

**By the order of the Governor,**  
Dr. D. N. Pandey,  
**Secretary to the Government**